न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 138/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/220

उनवान

लक्ष्मनसिंह पुत्र श्री निनुआ जाति जाट निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.......अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र बुकल
2. भावसिंह पुत्र बुकल
3. लज्जा पत्नी बुकल

} जाति जाट निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

4. मंदिर श्री हनुमानजी महाराज बबूलकी साकिन लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर जरिये संस्था संचालक व व्यवस्थापक
5. एस.बी.बी.जे. जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नदबई।
6. एस.बी.आई. जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
8. सब रजिस्टार तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..........रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स 83/2021 बउनवानी लक्ष्मन बनाम भावसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दिनेश चंद शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 श्री मोहनसिंह राना उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स 83/2021 बउनवानी लक्ष्मन बनाम भावसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2025, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा विभाजन व हुक्म ईम्तनाई अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 2 के मुताबिक हिस्सा अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रेजात किये जाकर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाई मीट्स एण्ड वाउन्ड के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जावे एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.06 हैक्टे. के 1/2 हिस्से को वादी के कुर्रे में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिया जावे तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अलग–अलग लगान कायम की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किये जाने का अनुतोष मांगा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया गया। तद्उपरान्त अधीनरथ न्यायालय ने दिनांक 17.03.2025 को निर्णय पारित कर वादी का वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचंद शर्मा एंव रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राना ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.03.2025 को दावा में प्रारम्भिक डिक्री पारित की है लेकिन आज तक अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में प्राथमिक डिक्री नहीं बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि प्राथमिक डिक्री किये जाने पर निर्णय के साथ डिक्री भी बनाई जाती है लेकिन उन्होंने कोई डिक्री न बनाकर कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 ने अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया है जब प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अपना जबाब दावा पेश किया है उस स्थिति में दावा में तनकीयात के लिये लगाकर तनकीयात कायम करनी चाहिए थी लेकिन न्यायालय तहत ने ना तो दावा व जबाब दावा के आधार पर कोई तनकीयात कायम की, न ही साक्ष्य ली है तथा सीधे ही प्राथमिक डिक्री पारित कर कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों को भी प्रदर्शित नहीं किया गया है न ही उन दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किए गए है। रेस्पोडेन्ट ने अपने जबाब दावा में खसरा नम्बर 671 पर सम्पूर्ण हिस्से पर अपना कब्जा बताया है जबकि उसमें 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का हिस्सा है। खसरा नम्बर 671 वाईपास रोड़ के किनारे पर आ गया है तथा अदालत तहत ने प्राथमिक डिक्री में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार मय नजरी नक्शा लगान सहित अच्छी में से अच्छी का बंटवारा करते हुए कुर्रे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का आदेश दिया जबकि खसरा नम्बर 671 वाईपास के किराने स्थित है। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3, बहिस्सा 1/2, 1/2 के हिस्सेदार है तथा वह आराजी सड़क पर होने के कारण मूल्यवान है। जिस पर रेस्पोडेन्ट ने जबरन कब्जा कर लिया है उस स्थिति में वह पूरे नम्बर को अपने हिस्से में कराने की कोशिश करेगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई विचार नहीं किया है कि दोनों पक्षों अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को अच्छी–अच्छी व बुरी में से बुरी जमीन का विभाजन प्रस्ताव भिजवाने चाहिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक डिक्री गलत रुप से पारित करने में कानूनी गलती की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2018-19(Supp.) RRT 145, 1994 RRD 604(b), 2002 RBJ 301, 2002 RBJ 304, 2023 RBJ 149 (RHC), 2023 RBJ 668(DB) SC, 2024 RBJ 210 RHC, 2018 RBJ 447 (SC) न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि निर्णय दिनांक 17.03.2025 के विरुद्ध यह अपील पेश की जा रही है अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट के वकील साहब ने भी अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी नहीं दी जब अपीलान्ट दिनांक 20.08.2025 को अदालत में वकील साहब से बमुकदमे की पूछने आया कि उसके मुकदमे में अब कौनसी तारीख है तब वकील साहब ने बताया कि दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया गया है तथा कुर्रे तलब किये गये हैं उस दिन अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र नकल को लगाया जो दिनांक 21.08.2025 को नकल प्राप्त हुई तब निर्णय जैर अपील की असल जानकारी अपीलान्ट को हुई है जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील होने जानकारी व मिलने नकल से अन्दर म्याद शुमार कर देरी को माफ किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई को निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा दावा पेश किया गया था इसलिए तलबी कराना भी अपीलान्ट का ही कर्तव्य था। वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.03.2025 को स्वयं निवेदन किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने सही किया है क्योंकि दोनों पक्ष सहमत हो तो साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायालय तहत में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.05.2025 को आपत्ति पेश की गई तथा अपीलान्ट के एतराज को स्वीकार किया गया और पुनः कुर्रे मंगवाने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रकार अपीलान्ट को दिनांक 19.05.2025 को ही प्राथमिक डिक्री के सम्बन्ध में व 17.03.2025 के सम्बन्ध में ऐतराज पेश करना चाहिए। इसलिए किसी भी स्टेज पर अपील पेश नहीं की जा सकती है क्योंकि सभी कार्यवाही अपीलान्ट की उपस्थिति में की गई है। यदि दोनों पक्षों के अधिवक्ता सहमत हैं तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं होती है। इसलिए अपील आधारहीन है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 17.03.2025 से ही रही है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा अपीलांट द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही दावा प्राथमिक डिक्री किया गया था जिसकी पालना में विवादित आराजी के कुर्रे अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा कुर्रो पर आपत्ति दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई थी। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी शुरू से ही रही है इसलिए अपीलांट का यह कहना कि जानकारी दिनांक 20.08.2025 को हुई है कतई गलत है इसलिए प्रार्थना पत्र अपीलांट काबिल खारिजी के है। अपीलांट द्वारा अपील लगभग 3 माह बाद प्रस्तुत की गई है जिसको देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है न ही प्रत्येक दिन की देरी को एक्सप्लेन किया किया गया है इसलिए समुचित कारण के अभाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में अपीलांट देरी को कंडोन कराने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र अपीलांट खारिज करते हुऐ अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर ही खारिज फरमायी जावे।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 22.08.2025 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का अपनी बहस में एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के जबाब में मुख्य तर्क यह रहा है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 17.03.2025 से ही रही है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा अपीलान्ट द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही दावा प्राथमिक डिक्री किया गया था जिसकी पालना में विवादित आराजी के कुर्रे अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा कुर्रो पर आपत्ति दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई थी। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी शुरू से ही रही है इसलिए अपीलांट का यह कहना कि जानकारी दिनांक 20.08.2025 को हुई है कतई गलत है इसलिए प्रार्थना पत्र अपीलांट काबिल खारिजी के है। अपीलांट द्वारा अपील लगभग 3 माह बाद प्रस्तुत की गई है जिसको देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है न ही प्रत्येक दिन की देरी को एक्सप्लेन किया किया गया है इसलिए समुचित कारण के अभाव में अपीलांट देरी को माफ कराने का अधिकारी नहीं है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को पेश कर अभिकथन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 346 के आराजी खसरा नम्बरान 672 रकबा 0.01 है. 673 रकबा 0.94 है. 674 रकबा 0.06 है. 676 रकबा 0.01 है. 677 रकबा 0.01 है. 678 रकबा 1.12 है. किता 6 रकबा कुल 2.15 हैक्टे व खाता संख्या 348 के आराजी ख.न. 671 रकबा 0.06 है. कुल किता 7 रकबा कुल 2.21 हैक्टे. वाके मौजा लुहासा तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी के खाता संख्या 346 में वादी 137/340 हिस्से का व खाता संख्या 348 में 1/2

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हिस्से का हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रेजात किये जाकर वादी व प्रतिवादीगण के वाई मीट्स एण्ड वाउण्ट के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जावे एवं आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 0.06 हैक्टे. के 1/2 हिस्से को वादी के कुर्रे में दिया जावे क्योंकि उक्त रकबा नदबई वाईपास रोड़ के किनारे पर स्थित है जो काफी कीमती है तथा वादी/अपीलान्ट द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अलग–अलग लगान कायम किये जाने का अनुतोष मांगा गया था।

अपीलान्ट वादी द्वारा दावा पेश करने के बाद दावा दिनांक 20.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किए जाने के आदेश प्रदत्त किए गए। आदेशिका दिनांक 19.12.2022 में वादी वकील द्वारा तलबी हेतु अवसर चाहा जाने पर अन्तिम अवसर दिया गया, उसके उपरान्त 05.01.2023, 06.09.2023 को तलबी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 21.03.2024 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश पारासर एडवोकेट उपस्थित आए एवं प्रतिवादी सं. 4 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई जाने के आदेश दिए तथा प्रतिवादी सं. 5 से 8 की तलबी हो चुकी है यह अंकन किया गया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 19.12.2022 को पुनः तलबी के आदेश दिए गए हैं तो भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 22.07.2021 को जारी समन जो तारीख पेशी 26.08.2021 के लिए जारी किए गए थे पर तामील हुई है को आधार मानते हुए प्रतिवादी सं. 5 से 8 की तलबी मानी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रूटि की है। प्रतिवादी सं. 4 की तामील भी आदेशिका दिनांक 13.06.2024 को मानी गयी है तथा 4 से 8 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के अनुसार दिनांक 23.12.2024 तक जबाव पेश नहीं किया गया है। तारीख पेशी दिनांक 17.03.2025 की आदेशिका के अनुसार यह अंकन किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से जबाब पेश किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय कीपत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से पेश जबाबदावा का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उनके द्वारा दिनांक 11.09.2024 को जबाबदावा पेश किया गया है जिसको पीठासीन अधिकारी द्वारा मार्क नहीं किया गया है। आदेशिका दिनांक 17.03.2025 को उक्त जबाबदावा के संबंध में यह अंकन करते हुए कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से जबाब पेश किया जा चुका है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की ओर से प्राथमिक डिक्री किए जाने बाबत निवेदन किया। दावा में प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार नदबई को इस बाबत तहरीर जारी की जाती है कि मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार मय नजरी नक्शा लगान सहित अच्छी में से बुरी मे से बुरी आराजी का बंटवारा करते हुए कुर्रे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मस्तिष्क प्रयोग किए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी क्योंकि प्राथमिक डिक्री जारी करने की सहमति बाबत किसी भी पक्षकार के अधिवक्ता के हस्ताक्षर आदेशिका पर नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने कौनसी भूमि के लिए प्राथमिक डिक्री जारी की है उसका उल्लेख भी आदेशिका पर अंकित प्राथमिक डिक्री बाबत निर्णय में उल्लेख नहीं है। प्राथमिक डिक्री का निर्णय फर्द अहकाम पर जारी नहीं किया जा सकता है जिससे प्रावधान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 भाग–2 के नियम 126 दिया गया है जो इस प्रकार है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

126. निर्णय या अन्तिम आज्ञा, आर्डरशीट पर नहीं लिखी जावेगी :– अदालत का कोई निर्णय या अन्तिम आज्ञा आर्डरशीट या मिसल के किसी दूसरे कागज पर जैसे विवाद (प्लीडिंग) दरखास्तो, उजरदावियों पर नहीं लिखी जावेगी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट वादी ने संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 672, 673, 674, 676, 677, 678 किता 6 रकबा 2.15 हैक्टर व खसरा नम्बर 671 रकबा 0.06 हैक्टर के सम्बन्ध में बंटवारे का वाद पेश किया है एवं यह भी अभिवचन किया है कि खसरा नम्बर 671 के सम्पूर्ण रकबा को अपने कब्जे में लेकर वादी को उसके 1/2 हिस्से से बेदखल कर दिया है जबकि मनबट का इस रकबा पर अपने 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त था लेकिन सभी प्रतिवादीगण अब वादी को खसरा नम्बर 671 व अन्य विवादित आराजी पर उसके मनबट के हिस्से पर शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने देते है। खसरा नम्बर 671 जो बाईपास के किराने स्थित है में से अपने 1/2 हिस्से को अपने कुर्रे मे लेने का अधिकारी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा पेश जबाबदावे का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उन्होंने खसरा नम्बर 671 रकबा सम्पूर्ण रुप से पूर्वजों के समय यानि करीब 50 साल से प्रतिवादीगण के हिस्से में आया हुआ है एवं साथ अन्य तथ्य भी अस्वीकार किए गए हैं। आदेश 14 नियम (1) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार जहां पर तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है वहां विवाद्यक/तनकी पैदा होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम वादी अपीलान्ट द्वारा पेश वादपत्र एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा पेश जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर विधिक प्रक्रियानुसार उन पर उभयपक्ष की साक्ष्य सबूत लेकर बाद सुनवाई तनकीवार निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रूटि की है। आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के तहत तनकी बनाया जाना आवश्यक है और प्रत्येक तनकी में विनिश्चय किया जाना भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह तर्क कि दोनों पक्षों की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी, यह तर्क सारहीन है। सहमति किसी तथ्य पर हो सकती है विधिक बिन्दू पर सहमति का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध सहमति करता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जहां वाद के कथनों का प्रतिवादीगण ने खण्डन किया है तो वहां उन बिन्दूओं पर विवाद बिन्दु अर्थात तनकीयात कायम किया जाना और उसके आधार पर ही निर्णय किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी कायम किए ही प्रारम्भिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि की दृष्टि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। न्यायिक दृष्टांत 2012(1) आरआरटी पेज 177 में यह मत व्यक्त किया गया है कि मामले में तनकीयात नहीं बनायी गयी तो मामले के लिए घातक है। (In a contesting case non-framing of issues is erroneous & Judgment is liable to be set aside on this ground) साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मे यह भी स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा पेश वर्तमान जमाबन्दी की सत्यप्रति भी पेश नहीं की गयी है, जिससे भी साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन किए बिना ही रुटिन में फर्द अहकाम पर प्राथमिक डिक्री का निर्णय लिख दिया जिसमें कोई खसरा नम्बर आदि का उल्लेख ही नहीं है अगर अधीनस्थ न्यायालय तनकी कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कर साक्ष्य हेतु दस्तावेजात को प्रदर्शित करते तो यह मामला भी उनके ध्यान में आता जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है कि जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद के मदों से स्पष्ट रुप से इन्कार किया गया। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गयी। साथ ही दस्तावेज को प्रदर्शित भी नहीं किया गया। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और किसी दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्शित हुए हों। हस्तगत दावे में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वादी की ओर से लेखबद्ध नहीं करायी है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया एवं न ही इनके बाबत पत्रावली की आदेशिका में कोई आदेश ही दिया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का इस सम्बन्ध में यह तर्क रहा है कि यह त्रुटि वादी की ही है इस तर्क से हम सहमत हैं कि वादी अपीलान्ट को विधिवत रुप से दस्तावेज पेश करने चाहिए थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि वह बिना प्रक्रियात्मक कानून की पालना किए दावे का निर्णय पारित कर दें। पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही दावे का विचारण करें। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित करने से पूर्व आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही करने पर तनिक भी विचार किए वगैर बहुत ही जल्दबाजी में लापरवाह तरीके (Cursory Manner) से जैर अपील प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 17.03.2025 पारित किया है जो न तो उचित है एवं न ही विधि सम्मत है। इसलिए हम प्रकरण को विधिक प्रक्रियानुसार वादपत्र एवं जबाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य सबूत लेकर बाद सुनवाई तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित समझते हैं।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2025 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष की समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए, साक्ष्य, सबूत लेकर बाद सुनवाई तनकीवार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

11. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर